इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111] भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013—फाल्गुन 27, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र. 7752-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 18 मार्च, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१३

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०१३

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
२. धारा ६१-क का स्थापन.
३. धारा ६१-ख का संशोधन.
४. धारा ६१-ग का स्थापन.
५. धारा ६१-घ का संशोधन.
६. धारा ६१-ङ का स्थापन.
७. धारा ६१-ङ क का अन्त:स्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१३

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ६१-क का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ६१-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

परिभाषाएं.

''६१-क इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''ग्राम पंचायत क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो ग्राम पंचायत में,—

(एक) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन गठित किए गए किसी नगरपालिक निगम की सीमाओं से सोलह किलोमीटर;

(दो) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित की गई किसी नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् की सीमाओं से आठ किलोमीटर;

(तीन) उपरोक्त (१) तथा (२) में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी नगरीय क्षेत्र की सीमाओं से तीन किलोमीटर;

(चार) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४७) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए या घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग या मध्यप्रदेश हाइवे एक्ट, १९३६ (क्रमांक ३४ सन् १९३६) की धारा २ के अधीन अधिसूचित किए गए लोकमार्ग के पार्श्व से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर ग्राम पंचायत में स्थित है:

परन्तु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा १३ के अधीन अधिसूचित किसी निवेश क्षेत्र के भीतर स्थित कोई क्षेत्र, इस अध्याय के प्रयोजन के लिये ''ग्राम पंचायत क्षेत्र'' समझा जाएगा;

(ख) ''कालोनी'' से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जो उक्त क्षेत्र को भू-खण्डों में विभाजित किया जाकर विकसित किया गया हो और उसमें समूह आवास सम्मिलित हैं किन्तु ऐसा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है जो किसी परिवार के सदस्यों के बीच, साधारणतया निवास एककों के प्रयोजन के लिये विभाजित किया गया हो;

(ग) ''कालोनाइजर'' से अभिप्रेत है, उन्हें अपवर्जित करते हुए, जिन्हें कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित किया जाए, कोई ऐसा व्यक्ति, सोसाइटी, संस्था या सत्ता जो विक्रय या अन्यथा द्वारा समस्त या कुछ भू-खण्ड या भवन या उनके भाग का अन्तरण करने के

प्रयोजन के लिये इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कोई कालोनी विकसित करने का कार्य हाथ में लेने का आशय रखता है और जो इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है.''.

धारा ६१-ख का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ६१-ख में, शब्द और कोष्ठक ''उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व)'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''ऐसे सक्षम प्राधिकारी, जिसे कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए,'' स्थापित किए जाएं.''.

धारा ६१-ग का स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ६१-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

कालोनियों का विकास.

''६१-ग (१) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई कालोनाइजर, जिसे धारा ६१-ख की उपधारा (२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में कालोनी विकसित कर सकेगा.

(२) (क) कालोनाइजर, आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे वर्ग को, जो कि विहित किए जाएं, विकसित भू-खण्ड या निर्मित निवास एकक उपलब्ध कराएगा.

(ख) ऐसे भू-खण्डों या निवास एककों का आकार, संख्या और स्थान विहित किए जा सकेंगे.

(३) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, उपधारा (२) के खण्ड (ख) में वर्णित भू-खण्डों या निवास एककों के अतिरिक्त या उनके बदले में ऐसा आश्रय शुल्क अधिरोपित, संग्रहीत कर सकेगी और उसका उपयोग कर सकेगी जैसा कि विहित किया जाए.''.

धारा ६१-घ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ६१-घ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) जो कोई अवैध व्यपवर्तन या अवैध कालोनी निर्माण का अपराध करेगा वह कारावास से, जो तीन वर्ष से कम और सात वर्ष से अधिक का नहीं होगा, और जुर्माने से, जो कम-से-कम दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा. ऐसा अपराध संज्ञेय होगा.''.

धारा ६१-ङ का स्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा ६१-ङ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अवैध संनिर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड.

''६१-ङ (१) जो कोई अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कालोनी निर्माण के या अवैध संनिर्माण के किसी क्षेत्र में,—

(एक) भवन के संनिर्माण के लिये अभिन्यास (ले-आउट) या नक्शा मंजूर करने की शक्ति रखने वाला अधिकारी होते हुए ऐसा अभिन्यास या नक्शा मंजूर या अनुमोदित करेगा; या

(दो) ऐसा अधिकारी होते हुए जिसका प्राथमिक कर्तव्य ऐसा करना हो, ऐसे किसी क्षेत्र में भूमि के अवैध व्यपवर्तन की या किसी भवन के अवैध संनिर्माण की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी को करने का जानबूझकर लोप करेगा; या

(तीन) ऐसा अधिकारी या ऐसा कर्मचारी होते हुए जो ऐसे किसी क्षेत्र में भूमि के अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कालोनी निर्माण के या भवन के अवैध संनिर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने का उत्तरदायी है, कार्रवाई करने में असफल रहता है; या

(चार) विद्युत् या जल प्रदाय संयोजन (कनेक्शन) मंजूर करने के लिये सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी होते हुए, ऐसे किसी क्षेत्र में के किसी भवन के संबंध में ऐसे संयोजन की मंजूरी देगा.

वह सादा कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु खण्ड (चार) में अंतर्विष्ट कोई बात उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां कलक्टर राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रमाणित करता है कि अवैध व्यपवर्तन या अवैध कालोनी निर्माण के क्षेत्र में भवन के संबंध में विद्युत् या जल प्रदाय का संयोजन देने में लोकहित में कोई आपत्ति नहीं है.

(२) जो कोई पूर्वोक्त अधिकारियों पर ऐसी मंजूरी देने के लिये या भूमि के ऐसे अवैध व्यपवर्तन की या अवैध संनिर्माण की रिपोर्ट करने का लोप करने के लिये अवैध रूप से असर डालेगा वह सादा कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.''.

धारा ६१-ङक का अन्तःस्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा ६१-ङ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

अवैध कालोनी निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई न करने के लिए दण्ड.

''**६१-ङक.** अवैध कालोनी निर्माण की दशा में, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निर्माण का निरीक्षण करने रिपोर्ट देने, रोकने या उसे हटाने के लिये प्राधिकृत किया गया कोई पदधारी, जानबूझकर कार्रवाई करने का लोप करता है या यदि ऐसी कार्रवाई करने के लिये आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी कोई पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो वह सादा कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अध्याय चार-क में ग्राम पंचायत क्षेत्र में कालोनियां विकसित किए जाने का उपबंध है. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा १३ के अधीन अधिसूचित निवेश क्षेत्र, ग्राम पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है. निवेश क्षेत्र को ग्राम पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित करने की दृष्टि से उपबंध प्रस्तावित किया गया है. कालोनी और कालोनाइजर की परिभाषाएं प्रस्तावित की गई हैं.

२. कालोनाइजरों के रजिस्ट्रीकरण के लिये उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी को सशक्त किया जाना प्रस्तावित है.

३. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिये पूर्ण रूप से विकसित भू-खण्ड अथवा निर्मित निवास एकक उपलब्ध और आवंटित करने के लिये और आश्रय शुल्क अधिरोपित करने के लिये आवश्यक उपबंध प्रस्तावित किए गए हैं.

४. विद्यमान दण्डों में वृद्धि की गई है.

५. अवैध कालोनी निर्माण के सम्बन्ध में कार्रवाई न करने के लिये दण्ड प्रस्तावित किया गया है.

६. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख ८ मार्च, सन् २०१३.

गोपाल भार्गव
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०१३ के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड ३— कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य अनुमतियां प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा ''सक्षम अधिकारी'' नियुक्त किये जाने;

खण्ड ४— आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये विकसित भूखण्ड या निर्मित निवास एकक उपलब्ध कराये जाने,

ऐसे भूखण्डों या निवास एककों का आकार, संख्या और स्थान विहित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित किए जाने तथा

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये विकसित भूखण्ड या निवास के बदले आश्रय शुल्क का अधिरोपण एवं संग्रहण करने की प्रक्रिया विहित किए जाने के संबंध में नियम बनाए जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.